>

Title: Need to expedite construction work on NH-57 and payment of compensation to affected people in Bihar.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, देश को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र से असम के सिलचर तक पूर्व-पश्चिम महामार्ग का राजमार्ग चतुर्थ लेन बनाया जा रहा है। बिहार में एन.एच. की कई सड़कें हैं, लेकिन एनएच 57 दरभंगा से फारबीसगंज तक हमारे जिले और क्षेत्र से गुजरता है। मुख्य समस्या यह है कि उस पर कोसी महासेतु का निर्माण हुआ है और इसका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी निर्माणाधीन सड़कों का बहुत ही धीमी गति से, कछुआ चाल से निर्माण हो रहा है। महासेतु का विधिवत उद्घाटन हो जाने के बावजूद भी सड़कों का परिचालन नियमित रूप से नहीं हुआ है। अर्द्धनिर्मित या निर्माणाधीन सड़कों में जो यातायात अभी प्रारम्भ भी हुआ है, उस कारण कुछ महत्वपूर्ण स्थान ऐसे हैं जहां क्रास रोड हैं जैसे भुतहा है, फूलपरास है, खोपा चौक है, संग्राम है ऐसी जगहों पर कोई नियमित व्यवस्था डीपीआर के तहत नहीं की गई थी जिससे आने वाले दिनों में खतरे की सम्भावना प्रबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता है, बल्कि दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है। जहां-जहां अस्पताल है, जैसे फूलपरास में रेफरल अस्पताल है, वैसे जो दूसरे अस्पताल हैं, वहां या तो अंडरपास देना चाहिए था या ऊपरी पुल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। नरहिया बाजार है, बहुत कहने के बाद अंडर पास तो बनाया गया, लेकिन भुतहा हो या नवटोली हो, नरहिया हो, फूलपरास हो, खोपा हो, संग्राम हो या दूसरी जगह हो, जो डीपीआर के मुताबिक सर्विस रोड का निर्माण किया जाना था, वह नहीं किया गया है। मैंने पिछले तीन वर्षों में कई बार माननीय मंत्री जी को पत्र लिख कर उनका ध्यान आकृष्ट किया है कि अगर ऊपरी पुल या अंडर पास नहीं दिया गया या सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया गया, जहां-जहां भी अस्पताल, कब्रिस्तान या ईदगाह है, वहां सड़क से दूसरी तरफ जाने की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में बहुत भयंकर दुर्घटनाएं हर जगह हो सकती हैं। इसके साथ जिन लोगों की जमीन ली गई है, जिन लोगों का मकान लिया गया, जिन लोगों की व्यावसायिक दुकान तोड़ी गई, उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। निर्माण करने वाली एजेंसी ने प्रशासन के मेल से लोगों का मकान, दुकान तोड़ दी, जमीन ले ली, लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। यहां तक कि जिनका पंचाट से निर्णय भी हो गया, माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने जिसका न्याय निर्णय दे दिया है, उसका भी एनएचएआई का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या दूसरे पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए बहुत तबाही मची हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुआवजे का भुगतान किया जाए, सर्विस रोड का निर्माण किया जाए, अंडर पास बने, ऊपरी पुल बने और जो डीपीआर के माध्यम से एनएच-57 का सकरी से लेकर भुतहा चौक पूर्ण निर्माण अब तक नहीं हुआ है, उसके निर्माण में गतिशीलता लाई जाए।